प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"

(रा. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
खैरवाड़ा जिला उदयपुर।

विषय :– राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम आणवा
की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 खाता संख्या 48 में –
मुझ प्रार्थी का नाम पुना पुत्र मरता दर्ज है किंतु मेरा वास्तविक नाम पूनमचंद है। मेरे आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई.डी., पेन कार्ड, रा॰ में नाम श्री पुनमचन्द दर्ज है। राजस्व खाता मे नाम दर्ज करते समय मेरा मुहबोला नाम पुना दर्ज हो गया जो कि मेरे वास्तविक नाम का अपभ्रंश अथवा विकृत है। अतः श्रीमान राजस्व रेकार्ड में मेरा नाम पुना की बजाय पुनमचन्द दर्ज करने का आदेश फरमावें।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

पुनमचन्द
प्रार्थी

दिनांक :

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र मे तथ्य सही पाया गया है। ग्राम भाणवा के खा.सं. 48 मे प्रार्थी का नाम पुना पुत्र मरता दर्ज है जो कि इनके वास्तविक नाम का अपभ्रंश अथवा विकृत शब्द है। अतः श्रीमान ग्राम-भाणवा के खा.सं. 48 में प्रार्थी का नाम पुना से पुनमचंद दर्ज करना उचित है।

15/11/2021
ILR पाटीया

पटवारी
पटवार मण्डल-
तह. नयागांव, जि. उदयपुर (राज.)

रिपोर्ट तहसीलदार, नयागांव

भू.अ. निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार ग्राम भाणवा के खा. सं. 48 में अंकित खातेदार का नाम पुना पुत्र मरता के बजाय पुनमचन्द पुत्र मरता दुरुस्त किया जाना उचित है।

16.11.21
तहसीलदार-नयागांव
जिला-उदयपुर (राज.)

आदेश

तहसीलदार नयागांव की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम भाणवा के खाता सं. 48 में अंकित पुना पुत्र मरता के बजाय पुनमचन्द पुत्र मरता के नाम की शुद्धि किये जाने का आदेश पारित किया जाता है, राजस्व रेकार्ड में शुद्धि किये जाने बाबत तहसीलदार नयागांव को लिखा जावे,

उपखण्ड अधिकारी

प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खैरवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान गुड़ा

–:आदेश:–

प्रार्थी के *"खाता दुरुस्ती"* प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गुड़ा व भू.अ.नि. पाटिया की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार ~~सालासर~~ नयागांव की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भाणवा तहसील नयागांव जिला ———— की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 48 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :–

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	भाणवा	48	पुना पुत्र मरता	पुनमचन्द पुत्र मरता

(हस्ताक्षर)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, खैरवाड़ा

क्रमांक :– 21/वरन्ड/2021/115

दिनांक :– 16.11.2021

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार, नयागांव को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ————————————————को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, खैरवाड़ा